- हथकड़ी लगाने के कारण को अवश्य रिकार्ड किया जाना चाहिए और अदालत को दिखाया जाना चाहिए जब अदालत तक ले जाने वाला पुलिस अधिकारी यह महसूस करे कि गिरफ्तार व्यक्ति को हथकड़ी लगाना अनिवार्य है तब उसे न्यायालय से हथकड़ी लगाने की अनुमति अवश्य लेनी चाहिए और उसे मैजिस्ट्रेट को यह अवश्य बताना चाहिए कि हथकड़ी क्यों लगाई गई। (उच्चतम न्यायालय का निर्णय प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन)

महिलाओं के विशेष अधिकार

- विशेष परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी महिला को सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है यदि इस अवधि के दौरान गिरफ्तारी की जानी है तो महिला पुलिस अधिकारी को मैजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति अवश्य लेनी चाहिए। (दंड प्रक्रिया संहिता धारा 46(4));
- महिलाओं की तलाशी सिर्फ किसी महिला द्वारा ही ली जानी चाहिए जिसमें गोपनीयता और शालीनता का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। (दंड प्रक्रिया संहिता धारा 51(2));
- महिला संदिग्धों को थाने में अलग लॉक–अप में पुरुषों से अलग रखा जाना चाहिए। उन्हें ऐसी जगह नहीं रखा जाना चाहिए जहां पुरुष संदिग्धों को रखा गया हो। महिला संदिग्धों से पूछताछ सिर्फ महिला पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में ही की जाएगी। (उच्चतम न्यायालय का निर्णय शीला बर्से बनाम महाराष्ट्र राज्य)

कानूनी सलाह का अधिकार

यदि आप स्वयं वकील की सेवा लेने में समर्थ नहीं हैं तो आप मुफ्त कानूनी सहायता के हकदार हैं। यह अधिकार गिरफ्तारी के समय से ही शुरू हो जाता है। यदि आपको इस अधिकार की जानकारी नहीं है तो यह मैजिस्ट्रेट का कर्त्तव्य है कि वह आपको अदालत में पहली बार पेश किए जाने पर इस अधिकार की जानकारी दे (उच्चतम न्यायालय का निर्णय, खत्री बनाम बिहार राज्य)

गिरफ्तारी का विरोध

- कभी भी गिरफ्तारी का विरोध न करें। यदि आप गिरफ्तारी के लिए आसानी से तैयार हो जाते हैं तो आपके खिलाफ किसी भी प्रकार के बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यदि आप विरोध करते हैं तो गिरफ्तार करने वाला अधिकारी आपके खिलाफ बल का प्रयोग कर सकता है (दंड प्रक्रिया संहिता धारा 46)
- यदि आप अजमानती अपराध के अभियुक्त हैं और आप पुलिस को अपना नाम और पता बताने से इंकार करते हैं या गलत नाम और पता बताते हैं तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है (दंड प्रक्रिया संहिता धारा 42)

गैरकानूनी गिरफ्तारी और नजरबंदी का निवारण

किसी भी व्यक्ति को कानूनी तौर पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है और हिरासत में रोक कर रखा जा सकता है और यह अधिकार उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 से प्राप्त है। गिरफ्तारी को कानूनी होने के लिए गिरफ्तारी और नजरबंदी के आधार वैध होने चाहिए और सभी कानूनी प्रक्रियाओं का सख्ती से अनुपालन किया जाना चाहिए। ये सारे नियम अनिवार्य हैं और इनका अनुपालन न करने पर गिरफ्तारी और नजरबंदी गैरकानूनी हो जाता है। यदि आप गैर कानूनी रूप से गिरफ्तार और नजरबंद किए गए हैं तो इसके अनेक कानूनी प्रावधान हैं, आप उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं जिसने आपको गैरकानूनी रूप से गिरफ्तार या नजरबंद किया है। आप मुआवजे के भी हकदार होते हैं;

आप

- उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर सकते है। जिसने गैरकानूनी रूप से आपको गिरफ्तार या नजरबंद किया है;
- व्यक्तिगत रूप से शिकायत दर्ज कर सकते हैं या जिला पुलिस अधीक्षक या किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को घटना की जानकारी के बारे में रजिस्टर्ड डाक से लिखित शिकायत भेज सकते हैं;
- क्षेत्र के मैजिस्ट्रेट को शिकायत दर्ज करा सकते हैं;
- यदि आपके राज्य में पुलिस शिकायत प्राधिकरण हैं तो उसे शिकायत भेज सकते हैं। ये प्राधिकरण एक विशेष निकाय होते हैं जो पुलिस के खिलाफ जनता की शिकायतों की जांच करते हैं;
- राज्य मानव अधिकार आयोग को शिकायत भेज सकते हैं और यदि आपके राज्य में आयोग नहीं है तो आप राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को शिकायत भेज सकते हैं;
- यदि आपको गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया जाता है या फिर यह पता नहीं चलता कि आपको हिरासत में कहां रखा गया है तो आपके परिवार या आपके मित्र बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में सीधे उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाती है जो स्थानीय पुलिस को नजरबंद किए गए व्यक्ति को उसके सामने पेश करने का आदेश देता है;
- अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए आप संविधान के अंतर्गत मुआवजे की मांग कर सकते हैं।

रिट याचिका क्या होती है?

रिट याचिका तब दायर की जाती है जब कोई व्यक्ति महसूस करता है कि उसके एक से अधिक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, यह या तो आपके राज्य के उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में दायर की जा सकती है। यदि न्यायालय इस बात से सहमत होता है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह संबंधित अधिकारी को शिकायत दर्ज कराने का निर्देश दे सकता है या अन्य आदेश भी दे सकता है।

सी.एच.आर.आई. के संबंध में

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव एक अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र गैर–लाभकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है। इसका उद्देश्य कॉमनवेल्थ देशों में मानव अधिकारों को व्यवहारिक रूप से हासिल करने को बढ़ावा देना है। सी.एच.आर.आई. मानव अधिकार मानदंडों के अधिक से अधिक अनुपालन की वकालत करता है।

वर्तमान में हम निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं:

- पुलिस सुधार
- कारागार सुधार
- सूचना तक पहुँच
- नीतिगत पहल संबंधी कार्यक्रम

Commonwealth Human Rights Initiative

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव
तीसरी मंजिल, सिद्धार्थ चैम्बर,
55 ए, कालू सराय
नई दिल्ली–110016, भारत
फोन: +91-11-43180200
फैक्स: +91-11-26864688
ईमेल: info@humanrightsinitiative.org
वेबसाइट: http://www.humanrightsinitiative.org

यह पम्पफलेट ओक फाउंडेशन की सहयोग से प्रिंट किया जा रहा है।

गिरफ्तारी और नजरबंदी

पुलिस और आप

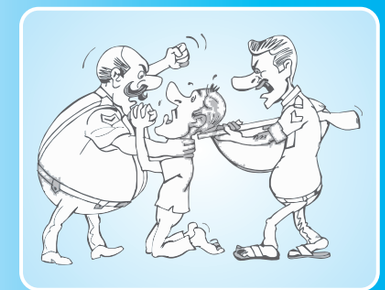

अपने अधिकारों को जानें

CHRI
Commonwealth Human Rights Initiative

गिरफ्तारी और नजरबंदी

आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किसी भी व्यक्ति को भारत के संविधान और कानून के अंतर्गत अधिकार दिए गए हैं। यह पुस्तिका उन परिस्थितियों जिसमें आप गिरफ्तार किए जा सकते हैं, गिरफ्तारी के दौरान आपके अधिकार क्या हैं और उन अधिकारों को लागू करने में पुलिस के कर्त्तव्यों के बारे में आपको बताती है।

क्या गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस को वारंट की जरूरत होती है?

यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या आप संज्ञेय अपराध के लिए गिरफ्तार हुए हैं या असंज्ञेय अपराध के लिए। यदि आप असंज्ञेय अपराध के अभियुक्त हैं तो आपको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के पास वारंट अवश्य होनी चाहिए। यदि आप संज्ञेय अपराध के अभियुक्त हैं तो पुलिस आपको बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की पहली अनुसूची अपराधों को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध के रूप में वर्गीकृत करती है।

संज्ञेय अपराध – संज्ञेय अपराध ऐसा अपराध होता है जिसमे पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस को स्वयं ही जांच शुरू करने का अधिकार है और उन्हें जांच शुरू करने के लिए न्यायिक मैजिस्ट्रेट के आदेश की जरूरत नहीं होती है। इस तरह के अपराध काफी गंभीर होते हैं जैसे कि हत्या, बलात्कार या दंगे।

असंज्ञेय अपराध – असंज्ञेय अपराध ऐसा अपराध होता है जिसमे पुलिस को बगैर वारंट के गिरफ्तारी करने का अधिकार नहीं है। पुलिस अधिकारी असंज्ञेय अपराधों की जांच मैजिस्ट्रेट से अनुमति मिलने के बाद ही कर सकता है। ये अपराध उतने गंभीर नहीं होते जैसे कि साधारण चोट, धोखाधड़ी आदि।

आप कब बगैर वारंट के गिरफ्तार किए जा सकते हैं?

- जब आप किसी पुलिस अधिकारी के सामने कोई संज्ञेय अपराध करते हैं;
- जब पुलिस अधिकारी को पर्याप्त संदेह होता है या उसे शिकायत मिलती है कि आप किसी संज्ञेय अपराध में शामिल हैं;
- यदि आप कानून के अंतर्गत घोषित अपराधी हैं;
- यदि आपके पास चोरी का सामान पाया जाता है और संदेह है कि आप इस तरह के अपराध में शामिल हैं;
- यदि आप पुलिस अधिकारी को उसके कर्त्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालते हैं;
- यदि आप कानूनी हिरासत से भाग गए हैं या भागने का प्रयास किया है;
- आप ऐसे अपराधी हैं जिसे छोड़ा गया है किंतु उसने निम्नलिखित कानून का उल्लंघन किया है;
- आप पर संदेह है कि आप किसी सैन्य बल के भगोड़े हैं;
- आप भारत से बाहर किए किसी ऐसे अपराध में शामिल हैं या आपके शामिल होने का पर्याप्त संदेह है जिसे यदि भारत में किया जाए तो आपराधिक मामले के रूप में दंडनीय होगा और संभावना है कि आपको भारत में वापस लाया जाए और गिरफ्तार किया जाए।

ऐसे संज्ञेय अपराध की विशेष प्रक्रिया जिसमें 7 वर्ष तक के दंड का प्रावधान है?

यदि आप किसी ऐसे संज्ञेय अपराध के अभियुक्त हैं जिसमें सात वर्ष या उससे कम अवधि के दंड का प्रावधान है तो उसकी एक विशेष प्रक्रिया है। पुलिस अधिकारी इस तरह के अपराध के लिए आपको तभी गिरफ्तार कर सकता है यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि समुचित जांच के लिए गिरफ्तारी जरूरी है या आपको और अपराध करने से रोकना है या आप सबूत से छेड़छाड़ कर सकते हैं या गवाह को प्रभावित कर सकते हैं या धमकी दे सकते हैं। पुलिस अधिकारी को इन सभी तथ्यों पर विचार करना चाहिए और यह निर्णय लेना चाहिए कि आपको गिरफ्तार करना जरूरी है अथवा नहीं और इन कारणों को लिखित में रिकार्ड करना चाहिए। यदि आप गिरफ्तार नहीं किए जाते हैं लेकिन पुलिस अधिकारी और जानकारी हासिल करने के लिए आपसे पूछताछ करना चाहता है तो पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार करने के बजाए पेश होने की सूचना जारी कर सकता है। इस सूचना के अंतर्गत जब कभी भी आपको समन भेजा जाए आपको पुलिस अधिकारी के समक्ष पूछताछ के लिए पेश होना पड़ेगा। यदि आप बुलाए जाने पर पेश नहीं होते हैं या अपनी पहचान बताने से इंकार करते हैं तो इस संबंध में न्यायालय के एक आदेश के आधार पर नोटिस में सूचीबद्ध अपराधों में आप गिरफ्तार किए जा सकते हैं। (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 और 41क)

गिरफ्तारी और नजरबंदी पर आपके अधिकार

यदि आप गिरफ्तार किए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके कुछ अधिकार हैं। ये अधिकार इस प्रकार हैं:

- आपको पुलिस द्वारा आपके गिरफ्तारी के कारण की सूचना दी जाए। भारत का संविधान अनुच्छेद 27(1) दंड प्रक्रिया संहिता धारा 50;
- यदि आपको जमानती अपराध पर गिरफ्तार गया है तो आपको जमानत पर छोड़ा जाए। यह गिरफ्तार करने वाले अधिकारी का कर्त्तव्य है कि वह आपको जमानत पर छोड़े जाने के आपके अधिकार के बारे में आपको बताए ताकि आप अपने जमानत की व्यवस्था कर सके। (दंड प्रक्रिया संहिता धारा 50) यदि आप जमानत की व्यवस्था नहीं कर सकते तो आप उपस्थित होने की शर्त पर बिना प्रतिभूति के बांड पर छोड़े जा सकते हैं। (दंड प्रक्रिया संहिता 436);
- आपको गिरफ्तार किए जाने के समय से 24 घंटे के अंदर किसी नजदीकी मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए। इस अवधि में न्यायालय तक ले जाने का समय शामिल नहीं है (भारत का संविधान अनुच्छेद 22(2) दंड प्रक्रिया संहिता अनुच्छेद 57 और 76);
- आपकी गिरफ्तारी और नजरबंदी के स्थान की सूचना आपके परिवारजन या मित्रों को दी जाए। इस सूचना को थाने के एक निर्धारित रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए (दंड प्रक्रिया संहिता धारा 50क);
- आपको आपकी पंसद के वकील से मिलने और सलाह लेने दिया जाए। आप पूछताछ के दौरान वकील से परामर्श कर सकते हैं किंतु पूरी पूछताछ के दौरान वह उपस्थित नहीं रहेगा। भारत का संविधान अनुच्छेद 22(1) दंड प्रक्रिया संहिता धारा 41ध;
- हिरासत के दौरान आपके स्वास्थ्य और सुरक्षा की समुचित देखभाल (धारा 55क दंड प्रक्रिया संहिता);
- हिरासत में बुरा व्यवहार दुर्व्यवहार न किया जाए या यातना न दी जाए (भारत का संविधान धारा 21);
- गुनाह कबूल करने के लिए किसी पुलिस अधिकारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दबाव, धमकी या प्रभावित न किया जाए। (दंड प्रक्रिया संहिता धारा 163)

चिकित्सीय जांच का अधिकार

- गिरफ्तारी के तुरन्त बाद सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा आपकी जांच की जानी चाहिए और यदि वह उपलब्ध नहीं है तो एक रजिस्टर्ड चिकित्सक द्वारा आपकी जांच की जानी चाहिए। महिला अभियुक्त की जांच महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा ही की जानी चाहिए। चिकित्सा जांच की एक प्रति उस चिकित्सा अधिकारी द्वारा आपको या आपके द्वारा नामित व्यक्ति को अवश्य दिया जाना चाहिए (दंड प्रक्रिया संहिता धारा 54);
- आपके अनुरोध करने पर आपके शरीर पर पाए जाने वाले किसी भी जख्म को गिरफ्तार करने वाले अधिकारी द्वारा जांच मेमो में दर्ज किया जाना चाहिए। इस मेमो पर आपके और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए और उसकी एक प्रति आपको दिया जाना चाहिए। (उच्चतम न्यायालय का निर्णय, डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य);
- आपको अधिकार है कि आप हिरासत के दौरान प्रत्येक 48 घंटे पर एक योग्य और सरकार से अनुमोदित डॉक्टर से अपनी जांच करवाए (डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य)

पुलिस के अतिरिक्त कर्तव्य

- गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को अपनी वर्दी पर अपने पद के साथ नाम की पट्टी लगानी चाहिए जो सही और स्पष्ट हो। (दंड प्रक्रिया संहिता धारा 41ख(क));
- गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को आपको गिरफ्तारी का एक मेमो तैयार करनी चाहिए जिसमें आपका नाम और गिरफ्तारी की तारीख और क्षेत्र के किसी सम्मानजनक व्यक्ति के तथा आपके हस्ताक्षर होने चाहिए। (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ख(ख) और डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य);
- गिरफ्तार करने वाला अधिकारी आपकी तलाशी ले सकता है और आपसे जब्त सभी मामलों को सुरक्षित रखेगा। इन जब्त सामानों की एक सूची वह आपको देगा। (दंड प्रक्रिया संहिता धारा 51);
- इन सभी कागजातों की प्रति स्थानीय मैजिस्ट्रेट को उसके रिकार्ड के लिए देगा। (डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य);
- प्रत्येक गिरफ्तारी और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के स्थान का ब्यौरा प्रत्येक गिरफ्तारी के बारह घंटे के अंदर राज्य और जिला पुलिस कंट्रोल रूम को दिया जाना चाहिए। यह जानकारी कंट्रोल रूम के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जानी चाहिए (डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य);
- जिला कंट्रोल रूम के नोटिस बोर्ड पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम और पता और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम प्रदर्शित किया जाना चाहिए। राज्य पुलिस नियंत्रण कक्ष को गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का एक डाटाबेस तैयार करना चाहिए (दंड प्रक्रिया संहिता धारा 41ग);
- हथकड़ी तभी लगानी चाहिए यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति
  - ❖ गंभीर अजमानती अपराध में शामिल है;
  - ❖ उग्र और उपद्रवी है;
  - ❖ आत्महत्या कर सकता है;
  - ❖ भागने का प्रयास कर सकता है।